न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्याम सिंह शेखावत आर.ए.एस

अपील संख्याः 421/2017

1. गुलाब चन्द पुत्र शिवदयाल
2. प्रकाश पुत्र शिवदयाल
3. सुरेन्द्र उर्फ लाला पुत्र शिवदयाल
4. कल्याण सहाय पुत्र श्योनाथ
5. अशोक कुमार पुत्र रामचरण
6. अनिल कुमार पुत्र रामचरण
7. शान्ति बेवा रामचरण

समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम राम्यावाला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

..... **अपीलार्थीगण**

बनाम

1. श्रीनारायण पुत्र भौरीलाल
2. मूलचन्द पुत्र स्व. रामेश्वर
3. राजेन्द्र पुत्र स्व. रामेश्वर
4. रामबाबू पुत्र स्व. रामेश्वर
5. कैलाश पुत्र स्व. रामेश्वर
6. बच्ची धर्मपत्नि स्व. रामेश्वर
7. रामकिशोर पुत्र स्व. छाजू
8. रामजीलाल पुत्र स्व. छाजू
9. रामगोपाल पुत्र स्व. छाजू
10. रामअवतार पुत्र स्व. छाजू
11. महेश पुत्र स्व. छाजू
12. कल्ली पत्नि स्व. छाजू

समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम राम्यावाला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

<u>अपील विरूद्व निर्णय डिक्री दिनांक 01.06.2017 न्यायालय सहायक कलक्टर जमवारामगढ, जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 96/2016 उनवान श्रीनारायण बनाम शिवदयालअंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थितः

अशोक उपाध्याय एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण
भगवान सहाय शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ल. 12

निर्णय दिनांकः 05/4/2021

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

:–निर्णय–:

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय सहायक कलक्टर जमवारामगढ, जिला जयपुर के निर्णय डिक्री दिनांक 01.06.2017 वाद पत्र संख्या 96/2016 बउनवानी श्रीनारायण बनाम शिवदयाल के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत दुरूस्ती नक्शा ट्रेस एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि हाल जमाबंदी संवत् 2054 से 2057 के खाता संख्या 123 में वर्णित खसरा नंबर 147, 228, 242, 250, 270, 273 एवं 337 कुल किता 7 कुल रकबा 46 बीघा 14 बिस्वा ग्राम राम्यावाला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार रामेश्वर पुत्र घीसा हिस्सा 1/2 छाजूराम पुत्र पि.मु. गंगासहाय हिस्सा 1/2 कौम ब्राहम्ण है। हाल जमाबंदी 2054 से 2057 के खाता संख्या 156 में अंकित आराजी खसरा नंबर 243, 274, 275, 276, 277, 136/2 कुल किता 6 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम राम्यावाला तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार श्री नारायण पुत्र भौरीलाल कौम ब्राहम्ण साकिन देह है। हाल जमाबंदी संवत् 2054 से 2057 के खाता संख्या 136 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 237, 238, 239, 244, 333 कुल किता 5 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम राम्यावाला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर के खातेदार काश्तकार शिवदयाल पुत्र श्री खेमराज व कल्याण सहाय पुत्र श्योनाथ जाति ब्राहम्ण साकिन देह है। हाल जमाबंदी अनुसार खसरा नंबर 244 का रकबा 5 बिस्वा बनता है किन्तु नक्शे अनुसार रकबा 1 बीघा से भी अधिक बनता है जो विवादग्रस्त है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 244 रकबा 5 बिस्वा के खातेदार है किन्तु नक्शे में गलत तरमीम हो जाने के कारण प्रतिवादीगण नक्शे अनुसार वादीगण के सींव जोड खसरा नंबर 250, 242, 243 के रकबों पर जबरन कब्जा करने की ताक में रहते है व आये दिन वादीगण से विवाद करने पर उतारू रहते है। वादीगण की डोल आदि तोडते है। इस कारण वादी के समक्ष विवाद की स्थिति स्पष्ट हो सके इस हेतु राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि नक्शे में खसरा नंबर 244 का रकबा 5 बिस्वा के स्थान पर 1 बीघा से अधिक गलत रूप से तरमीम किया हुआ है। प्रतिवादीगण की खातेदारी का खसरा नंबर 244 का रकबा जमाबंदी अनुसार महज 5 बिस्वा है जिसकी नक्शे में गलत तरमीम को दुरूस्त करवाने का वादीगण को पूर्ण कानूनी हक व अधिकार है। चूंकि प्रतिवादी आये दिन विवादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा करने को उतारू रहते है इस कारण वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर नक्शा ट्रेस ग्राम राम्यावाला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित खसरा नंबर 244 रकबा 5 बिस्वा की तरमीम जमाबंदी अनुसार की जावे तथा नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करवाई जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि खसरा नंबर 244 के सींव जोड खसरा नंबर 250 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 242 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नंबर 243 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम राम्यावाला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर के वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न स्वयं करे, न अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट इत्यादि से करावे।जिस परअधिनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

वकील वादी एवं प्रतिवादी की बहस सुनकर बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 01.06.2017के माध्यम से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर साबित होना मानकर स्वीकार करते हुये नक्शा दुरूस्ती के आदेश पारित किये गये। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। वकील पक्षकारान की पत्रावली में अंतिम बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली साक्ष्य में चल रही थी तब उक्त प्रकरण वादी की अनुपस्थिति के कारण अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया जिसके पश्चात् अपीलान्ट को कोई नोटिस/सूचना दिये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। खसरा नंबर 244 का वर्तमान नक्शा संवत् 2018 में निर्मित नक्शे अनुसार ही तैयार किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की गलत रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2017 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कितहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि खसरा नंबर 244 का रकबा जमाबंदी के अनुसार 0.05 बिस्वा का है जब कि नक्शा 0.14 बिस्वा का बनाया गया है इसलिये दुरूस्ती किया जाना न्यायसंगत है।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर सही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलार्थी ने मात्र रेस्पोडेन्ट को परेशान करने के उद्देश्य से आधारहीन तथ्यों का समावेश करते हुये अपील प्रस्तुत की है जो खारिज फरमाई जावे।

4. बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओ के अवलोकन से दिनांक 09/06/2016 की आदेशिका में प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है तत्तपश्चात दिनांक 16/06/2016 की आदेशिका में अंकित किया गया है कि "पत्रावली कैम्प में पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित राजीनामा नही, प्रतिवादीगण न्यायालय में जरिये वकील पेश होना चाहते है" तत्तपश्चात दिनांक 04/07/2016 की आदेशिका में अंकित है कि "पत्रावली पेश, उभयपक्ष उपस्थित, जवाब प्रतिवादी पत्रावली में मौजूद है, रिपोर्ट वांछित तहसीलदार अप्राप्त है काफी समय हो गया पर्याप्त ईन्तजार किया है, अत: रिपोर्ट के बिना पत्रावली में मौजूद वाद/जवाब दावा के आधार पर ही निर्णय हेतु तनकीयात कायम किया जाना उचित है, पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात दिनांक 18/07/2016 को पेश हो |" तत्तपश्चात तनकीयात हेतु तारीखे तब्दील होती रही | दिनांक 28/11/2016 की आदेशिका अनुसार "बार-बार आवाजे लगवाई गयी, वादीगण या वादीगण के अधिवक्ता उपस्थित नही, वाद अदम हाजरी में ख़ारिज कर दिया गया |" पुन: दिनांक 05/12/2016 की आदेशिका अनुसार "प्रार्थना पत्र आज दिनांक को वादी की और से प्रस्तुत किया गया, प्रार्थना पत्र पर पत्रावली तलब की गयी, प्रकरण को मेरिट्स पर निस्तारण करने का अनुरोध किया, जिस पर मनन किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन स्वीकार किया जाकर पत्रावली को पुन: नम्बर पर लिया जाता है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

पत्रावली पूर्वानुसार आईन्दा दिनांक को पेश हो।" तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 01/06/2017 की आदेशिका अनुसार "पत्रावली आज दिनांक को कैम्प राम्यानाला में प्रस्तुत हुई, प्रकरण वादीगण 2 व 3 के पुत्र रामावतार व रामबाबू एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र बाबूलाल स्वयं उपस्थित, लोक अदालत की भावना से पत्रावली का अवलोकन किया, प्रकरण वर्ष 2000 से लम्बित है, वाद में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार तहसीलदार जमवारामगढ़ के जवाब का अवलोकन किया। सरकार के जवाब से सहमत है, सरकार के जवाब मुताबिक़ नक्शा का दुरुस्त किया जाना उचित समझते है, वाद स्वीकार कर तहसीलदार जमवारामगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि दिनांक 03/02/2006 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ख.न. 244 के नक्शे में से सलग्न नक्शे में दर्शाये अनुसार ख.न. 243 व 250 के नक्शे में कमी रकबा क्रमश: 0.02 एवं 0.06 की तरमीम करने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करे।" पूर्व में अंकित अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ के हवाले से यह तथ्य स्पष्ट था कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय की लोक अदालत के समक्ष विचाराधीन था एवं प्रकरण में उभयपक्षों के मध्य कोई राजीनामा कायम नही हुआ था एवं आगामी आदेशिकाओ में यह सहमति बनी थी कि प्रकरण में वाद एवं जवाब वाद के आधार पर निर्णय हेतु तनकीयात कायम किया जाना उचित रहेगा एवं इसी हेतु तारीखे तब्दील होती रही। इसके पश्चात वाद अदम हाजरी में भी ख़ारिज हो गया, जिसमे प्रार्थना पत्र बाजदायर प्रस्तुत होने पर एकपक्षीय स्वीकार किया जाकर पत्रावली पूर्वानुसार आईन्दा प्रस्तुत होने के आदेश दिये गये थे, का तात्पर्य यह था कि पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01/06/2017 को बगैर कोई तनकीयात कायम किये बगैर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये आदेश जैर अपील के तहत वाद डिक्री कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री स्पष्ट रूप से विधिक प्रक्रिया के विरुद्ध है क्युकी प्रकरण लोक अदालत में निस्तारित किया गया है एवं लोक अदालत की भावना के अनुसार प्रकरण में यदि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो या सद्भाव हो तो मेल-जोल से ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है किन्तु विचाराधीन प्रकरण में जैसाकी अधीनस्थ न्यायालय की पूर्व आदेशिकाओ से स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा या सहमति नही बनी थी बल्कि सहमति नही बनने की वजह से प्रकरण वाद एवं जवाब वाद के आधार पर तनकीयात कायम करने हेतु लम्बित था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त प्रक्रिया की अनदेखी कर वाद को सरसरी तौर पर लोक अदालत में निर्णित कर दिया जबकी पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार की सहमति न बनने पर वाद को नियमित वाद के रूप में नियमित न्यायालय में सुनवाई कर निस्तारित किया जाना चाहिये था, ऐसा नही करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटी कारित की गई है जिससे अपीलार्थी अपना पक्ष रखने में वंचित रहे है।

5 अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01/06/2017 निरस्त किये जाकर प्रकरण पुन: गुणावगुण पर वाद के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रक्रिया की पालना के साथ निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

6 पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

4/10/2

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

7 आज दिनांक 05/4/21 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर